दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उदघोषित: 23.11.2023

रि.या. (सि.) सं. 6904/2020 और सि.वि. सं. 23718/2020

सिटीअस रियल एस्टेट (पी) लिमिटेड **....**याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय संघ और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री परविंदर चौहान और श्री अमन घवाना, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थीगण के लिए	:	श्री कीर्तिमान सिंह, के.स.स्था. परा. के साथ श्री वाइज़ अली नूर, सुश्री कुंजाला भारद्वाज और एम.बजाज, भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण। श्री गौतम नारायण और सुश्री अस्मिता सिंह, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए अधिवक्तागण।

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

निर्णय

न्या. विभू बखरु

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान याचिका दायर करते हुए अनुरोध किया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (इसके पश्चात 'अधिनियम') की धारा 54 को, जिस हद तक यह स्टाम्प शुल्क के 10% को बनाए रखने का प्रावधान करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 और 300ए के अधिकारातीत घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 54(ग) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 265 और 300क के अधिकारातीत होने के रूप में भी आक्षेपित किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं.2, स्टाम्प कलक्टर/एस.डी.एम. (मुख्यालय) (इसके पश्चात '**कलक्टर**') द्वारा पारित दिनांकित 20.02.2019 आदेश का विरोध करता है, जिसके तहत, ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र सं. इन.एन-डी.एल94299245494081एन. के खिलाफ प्रतिदाय के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उक्त आवेदन ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र की खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के बाद दायर किया गया था।

तथ्यात्मक संदर्भ

2. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और दिल्ली के गांव रावटा में 18 बीघा और 09 बिस्वास, अभिनाम, खसरा सं.31/11/1 (2-6) 20/1 (4-00), 23/2 (3-04), 24 (4-04) और 19/1 (405) (इसके पश्चात **'विषय संपत्ति'**) वाली जमीन खरीदने का इरादा रखती थी। ।

3. 19.09.2014 को, याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारियों (ए.डी.एम., रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) के पास एक आवेदन दायर किया जिसमें विषय संपत्ति खरीदने के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया क्योंकि यह एक कृषि संपत्ति थी।

4. विषय संपत्ति के लिए कुल बिक्री प्रतिफल ₹2,03,71,875/- पर सहमति हुई थी। 18.04.2015 को, याचिकाकर्ता ने विषय संपत्ति के हस्तांतरण के लिए ₹12,22,315/- की राशि में ई-स्टाम्प पेपर सं. इन.एन-डी.एल94299245494081एन. खरीदा। यह इस आधार पर था कि याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित प्राधिकारी से मांगी गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

5. हालांकि, विषय संपत्ति की खरीद के लिए अनुमति/एनओसी के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की गई थी। नतीजतन, याचिकाकर्ता विषय संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग नहीं कर सका।

6. इसके बाद, 15.06.2016 को, याचिकाकर्ता ने स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए कलक्टर के पास एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन भी उचित समय के भीतर संसाधित नहीं किया गया और कलक्टर के पास लंबित रहा। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय में रि.या.(सि.) सं.13182/2018 के रूप में एक रिट याचिका दायर करने के लिए विवश था। याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया था कि

प्रत्यर्थीगण स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय को रोक नहीं सकते थे क्योंकि जिस लिखत पर इस तरह का स्टाम्प शुल्क देय था, उसे निष्पादित नहीं किया गया था और स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए शुल्क लगाने की घटना उत्पन्न नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता ने ***डॉ. पूर्णिमा आडवाणी और अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य*** मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया।

7. उपरोक्त याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2018 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसके तहत, कलक्टर को ***डॉ. पूर्णिमा आडवाणी*** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

8. इसके बाद, याचिकाकर्ता के आवेदन को कलक्टर द्वारा 20.02.2019 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जो वर्तमान याचिका में आक्षेपित है।

9. उक्त विवादित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक और याचिका दायर की [रि.या. (सि.) सं.7416/2019 जिसका शीर्षक था ***सिटीअस रियल एस्टेट (पी) लिमिटेड बनाम स्टाम्प कलक्टर/एस.डी.एम. (मुख्यालय)]***। यह याचिका हममें से एक (न्या. विभु बखरू) के समक्ष सूचीबद्ध थी और न्यायालय का, प्रथमदृष्टया यह विचार था कि प्रतिदाय के लिए आवेदन पर

विचार करना अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के विपरीत होगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने नए सिरे से दायर करने और अधिनियम की धारा 54 को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका वापस ले ली।

निवेदन

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री परविंदर चौहान ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 और 300क के अधिकारातीत हैं, इस हद तक कि यह स्टाम्प शुल्क के 10% को बनाए रखने का प्रावधान करता है। उसने अपनी चुनौती इस आधार पर रखी कि स्टाम्प शुल्क एक लिखत पर देय उदग्रहण है। चूंकि उक्त मामले में जिस लिखत के लिए स्टाम्प पेपर खरीदा गया था (कृषि संपत्ति का हस्तांतरण) उसे निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए स्टाम्प शुल्क लगाने की घटना नहीं हुई थी। उसने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में स्टाम्प शुल्क को रोकना विधि के प्राधिकार के बिना कर का संग्रह होगा और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन होगा। उसने प्रस्तुत किया कि राज्य उस राशि को नहीं रोक सकता जिसका भुगतान कर लगाने की प्रत्याशा में किया गया था, यह देखते हुए कि शुल्क लगाने की घटना नहीं हुई है। उसने प्रस्तुत किया कि यह विधि के प्राधिकार के बिना याचिकाकर्ता की संपत्ति को जब्त करने के बराबर होगा और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क का भी उल्लंघन होगा।

11. याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 54 (ग) के प्रावधानों का भी विरोध किया है, जो उस अवधि को सीमित करता है जिसके भीतर अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर के प्रतिदाय की माँग की जा सकती है, जो कि मनमाना और तर्कहीन है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त अवधि अधिनियम की धारा 49(घ) के तहत प्रदान की गई परिसीमा की अवधि से कम है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 49(घ) के तहत आने वाले मामलों में, स्टाम्प पेपर का उपयोग निष्पादित लिखतों के लिए किया जाता है और इस प्रकार, एक कर लगाने की घटना हुई है। फिर भी, जिस तिथि को दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है, उससे पक्षकार को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां संव्यवहार सफल नहीं होता है और लिखत निष्पादित नहीं होता है, प्रतिदाय के लिए आवेदन करने की परिसीमा आवर्त अवधि की तिथि से छह महीने तक सीमित है।

12. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम नारायण ने उपरोक्त दलीलों का प्रतिवाद किया। उसने प्रस्तुत किया कि चूंकि यह अधिनियम एक कर अधिनियम है, इसलिए इसे अधिक व्यापकता के साथ देखने की आवश्यकता है जैसा कि ***आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। उसने यह भी कहा कि कर अधिनियम में साम्यता की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने उपरोक्त तर्क के समर्थन में ***आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम***

पी. लक्ष्मी देवी (श्रीमती) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया। उसने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के मामले में प्रतिदाय अधिनियम की धारा 54(ग) के प्रावधानों द्वारा पूरी तरह से वर्जित था क्योंकि प्रतिदाय के लिए आवेदन ई-स्टाम्प पेपर की खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के बाद दायर किया गया था।

कारण और निष्कर्ष

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम एक कर अधिनियम है। अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची । में निहित छूटों के अधीन, निर्दिष्ट लिखत उक्त अनुसूची में दर्शाई गई राशि के शुल्क के साथ प्रभार्य होंगे।

14. अधिनियम की धारा 2(6) *'प्रभार्य'* अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

> "(6) "प्रभार्य" का अर्थ है, जैसा कि इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित या पहली बार निष्पादित एक लिखत पर लागू होता है, जो इस अधिनियम के तहत प्रभार्य है, और जैसा कि किसी अन्य लिखत पर लागू होता है, जो [भारत] में लागू विधि के तहत प्रभार्य है जब ऐसा लिखत निष्पादित किया गया था या जहां कई व्यक्तियों ने अलग-अलग समय पर लिखत निष्पादित किया, पहली बार निष्पादित किया गया था।"

15. अधिनियम की धारा 2(12) अभिव्यक्ति 'निष्पादित' और 'निष्पादन' अभिव्यक्ति को अवस्थित करती है जब किसी लिखत के संदर्भ में इसका उपयोग 'हस्ताक्षरित' और 'हस्ताक्षर' के लिए किया जाता है।

16. अधिनियम की धारा 2(14) 'लिखत' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः-

"(14) "लिखत"

(क) प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व बनाया गया है, हस्तांतरित किया गया है, परिसीमित किया गया है, विस्तारित किया गया है, समाप्त किया गया है या दर्ज किया गया है;

(ख) स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार में संव्यवहार के लिए इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा बनाया गया कोई दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या देयता बनाई गई है, हस्तांतरित की गई है, परिसीमित की गई है, विस्तारित की गई है, समाप्त या दर्ज की गई है; और

(ग) अनुसूची I में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज, लेकिन इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल नहीं हैं जो सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

17. यह सुस्थापित विधि है कि स्टाम्प शुल्क उक्त अनुसूची में निर्धारित लिखतों पर प्रभार्य है न कि उन संव्यवहारों पर जिनके संबंध में लिखत निष्पादित किया जाता है।

18. अधिनियम की धारा 9क स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहार के लिए शुल्क के साथ प्रभार्य लिखतों को भी निर्दिष्ट करती है।

19. अधिनियम की धारा 10 में इस बात के प्रावधान हैं कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान कैसे किया जाना है। अधिनियम की धारा 11 चिपकने वाले स्टाम्प के उपयोग का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 10 और 11 निम्नलिखित हैं:

> **"10. शुल्कों का भुगतान कैसे किया जाए**।– (1) अन्यथा को छोड़कर
>
> इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि उन सभी शुल्कों का भुगतान किया जाएगा जिनके साथ कोई भी लिखत प्रभार्य हैं, और इस तरह के भुगतान को स्टाम्पों के माध्यम से ऐसे लिखतों पर इंगित किया जाएगा-
>
> (क) इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार; या
>
> (ख) जब ऐसा कोई प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है-क्योंकि [राज्य सरकार] प्रत्यक्ष नियम हो सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियम, अन्य मामलों के अलावा, विनियमित हो सकते हैं -

> (क) प्रत्येक प्रकार के लिखत के मामले में-उन स्टाम्पों का विवरण जिनका उपयोग किया जा सकता है;
>
> (ख) मुद्रित स्टाम्पों पर मुहर लगे लिखतों के मामले में-उपयोग किए जाने वाले स्टाम्पों की संख्या;
>
> (ग) विनिमय पत्रों या वचन पत्रों के मामले में उस कागज के आकार को नोट करें जिस पर वे लिखे गए हैं।

11. **चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग**।– निम्नलिखित पर चिपकने वाले स्टाम्पों की मुहर लगाई जा सकती है, अर्थात्:–

(क) प्रभार्य लिखत [जिसका शुल्क दस नये पैसे से अधिक न हो], मांग के अलावा देय और सेटों में आहरित विनिमय बिलों के कुछ हिस्सों को छोड़कर;

(ख) [भारत] से आहरित या जमा किए गए विनिमय पत्र और वचन पत्र;

(ग) उच्च न्यायालय की नामावली पर एक अधिवक्ता, वकील या अटर्नी के रूप में प्रविष्टि;

(घ) नोटरी संबंधी कार्य; और

(ङ) किसी निगमित कंपनी या अन्य कॉर्पोरेट निकाय में शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा स्थानांतरण।"

20. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जिन लिखतों के संबंध में शुल्क प्रभार्य हैं, उन लिखतों पर स्टाम्पों द्वारा प्रतिबिंबित किया जाना है। अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में, कुछ लिखतों पर चिपकने वाले स्टाम्पों से मुहर लगाई जा सकती है। अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि चिपकने वाले स्टाम्पों को एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें रद्द कर दिया जाए ताकि उनका फिर से उपयोग नहीं किया जा सके।

21. अधिनियम की धारा 17,18 और 19 में लिखतों पर मुहर लगाने के समय के संबंध में प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में, भारत में निष्पादित शुल्क के साथ प्रभार्य सभी लिखतों पर निष्पादन से पहले या उसके समय मुहर लगाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 18 (1) में कहा गया है

कि भारत से बाहर निष्पादित शुल्क के साथ प्रभार्य प्रत्येक लिखत (विनिमय पत्र या वचन पत्र के अलावा) को भारत में प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर मुहर लगाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में, भुगतान की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले एक विनिमय पत्र पर मुहर लगाना आवश्यक है।

22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि कर की घटना एक लिखत पर है और इसका भुगतान अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना है। स्टाम्प और स्टाम्प पेपर केवल स्टाम्प शुल्क के भुगतान के साधन हैं।

23. अधिनियम की धारा 29 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

24. इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क के संग्रह के लिए मशीनरी प्रावधानों में स्टाम्प पेपर/ई-प्रमाणपत्र और चिपकने वाले स्टाम्पों की बिक्री शामिल है। अधिनियम की धारा 10 (1) के संदर्भ में, अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, उन सभी शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक है जिनके साथ लिखत प्रभार्य हैं और इस तरह के भुगतान को स्टाम्पों के माध्यम से लिखतों पर इंगित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के मशीनरी प्रावधानों में ऐसे लिखतों के अस्तित्व में आने से पहले ही स्टाम्पों और स्टाम्प शुल्कों की बिक्री द्वारा कर संग्रह का प्रावधान है।

25. सभी कर अधिनियमों में कर उदग्रहण और वसूलने, कर का निर्धारण, कर संग्रहण और वसूली के साथ-साथ कर भुगतान से बचने के लिए दंड के प्रावधान शामिल हैं। लगभग सभी विधानों में कर आमतौर पर शुल्क लगाने की घटना के बाद एकत्र किया जाता है। हालांकि, यह मान लेना गलत होगा कि कर लगाने की घटना से पहले कर की गणना नहीं की जा सकती है। आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रिम कर के माध्यम से कर संग्रह का भी प्रावधान है, जो निर्धारिती के आय के अनुमान पर आधारित है। यह संभव है कि एक निर्धारिती का आय का अनुमान, जिस पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है, कर के लिए प्रभार्य आय से कम हो। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के भाग ग के तहत अग्रिम कर के रूप में जो एकत्र किया जाता है, वह आयकर है न कि कोई अन्य शुल्क।

26. इसी तरह, स्टाम्प पेपर, ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र और चिपकने वाले स्टाम्प की बिक्री से एकत्र किए गए स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा एकत्र किए गए स्टाम्प शुल्क हैं। स्टाम्प/स्टाम्प प्रमाणपत्रों की बिक्री एक राजस्व उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है।

27. यह अच्छी तरह से सुस्थापित किया गया है कि एकत्र किए गए कर के प्रतिदाय का अधिकार उक्त कर को नियंत्रित करने वाले अधिनियम द्वारा शासित होता है। एक निर्धारिती जिसने कर का भुगतान किया है, उसे भुगतान किए गए कर के प्रतिदाय का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। उपरोक्त को

ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 50 (2) के प्रावधान, जो स्टाम्पों के लिए भत्ते के 10% को बनाए रखने का प्रावधान करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत अधिकारातीत है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क के खिलाफ है, अयोग्य है।

28. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां भुगतान एकत्र किए गए हैं जो कर अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं जैसे कि विधि की भूल के तहत किए गए भुगतान, प्रतिदाय के प्रावधान आवश्यक रूप से ऐसे भुगतानों के प्रतिदाय को नियंत्रित नहीं करेंगे।

29. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 54 (ग) के प्रावधान को आक्षेपित करता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने इस चुनौती को इस आधार पर स्थापित किया है कि अधिनियम की धारा 54 (ग) के तहत प्रदान की गई परिसीमा अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्दिष्ट सीमा की अवधि को देखते हुए मनमाना और अनुचित है।

30. इस स्तर पर अधिनियम की धारा 49, 50 और 54 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। वही निम्नानुसार दिए गए हैं:

> **"49. खराब स्टाम्पों के लिए भत्ता।– ऐसे नियमों के अधीन** जो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित साक्ष्य या की जाने वाली जांच के बारे में किया जाए, कलक्टर धारा 50 में निर्धारित अवधि के भीतर किए गए आवेदन

पर, और यदि वह तथ्यों के बारे में संतुष्ट है, तो बाद में उल्लिखित मामलों में खराब किए गए मुद्रित स्टाम्पों के लिए भत्ता दे सकता है, अर्थात्:–

(क) अनजाने में और अवांछित रूप से खराब किए गए, मिटा दिए गए या लिखित रूप में त्रुटि से या किसी अन्य माध्यम से उस उद्देश्य के लिए अयोग्य ठहराए गए किसी भी कागज पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखे गए किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने से पहले स्टाम्प:

(ख) किसी भी दस्तावेज़ पर स्टाम्प जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लिखा गया है, लेकिन जिस पर किसी भी पक्ष द्वारा हस्ताक्षर या निष्पादन नहीं किया गया हैः

(ग) विनिमय पत्रों (मांग पर देय) या वचन पत्रों के मामले में -

(1) दराज़दार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित [किसी ऐसे विनिमय पत्र] स्टाम्प जिसे स्वीकार नहीं किया गया है या किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया गया है या स्वीकृति के लिए निविदा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसके हाथों से वितरित नहीं किया गया है: बशर्ते कि जिस कागज पर ऐसा कोई स्टाम्प लगाया गया है, उस पर बाद में लिखे जाने वाले किसी भी विनिमय पत्र के रूप में या उसकी स्वीकृति के लिए कोई हस्ताक्षर नहीं हैः

(2) निर्माता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित किसी वचन पत्र पर स्टाम्प जिसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया गया है या उसके हाथों से वितरित नहीं किया गया हैः

(3) उपयोग किया गया या उपयोग करने का इरादा रखने वाले स्टाम्प [किसी ऐसे विनिमय पत्र] या उसके दराजदार द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित वचन पत्र के लिए, लेकिन जो किसी चूक या त्रुटि के कारण खराब हो गया है या बेकार हो गया है, हालांकि वही, विनिमय पत्र होने के नाते स्वीकृति के लिए प्रस्तुत

किया गया हो या स्वीकार किया गया हो या समर्थन किया गया हो, या, एक वचन पत्र होने के नाते, प्राप्तकर्ता को दिया गया हो सकता है: बशर्ते कि एक अन्य पूर्ण और विधिवत विनिमय पत्र या वचन पत्र प्रत्येक विशेष में समान रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय इसके कि खराब हुए बिल या पत्र के साथ ऐसी चूक या त्रुटि के सुधार में, जैसा कि ऊपर कहा गया है;

(घ) किसी भी पक्षकार द्वारा निष्पादित किसी लिखत के लिए उपयोग की जाने वाली स्टाम्प जिसमें -

(1) बाद में शुरू से ही विधि की दृष्टी से पूर्ण रूप से अमान्य पाया गया हैः

(2) बाद में किसी त्रुटि या गलती के कारण मूल रूप से अभिप्रेत उद्देश्य के लिए अयोग्य पाया गया हैः

(3) किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जिसके लिए यह आवश्यक है कि इसे निष्पादित किया जाए, इसे निष्पादित किए बिना, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इसे निष्पादित करने से इनकार करने के कारण, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है ताकि इच्छित संव्यवहार के प्रस्तावित प्रपत्र को प्रभावित किया जा सके:

(4) किसी महत्वपूर्ण पक्षकार द्वारा उसके निष्पादन की इच्छा के लिए, और उस पर हस्ताक्षर करने में उसकी असमर्थता या इनकार, वास्तव में उस उद्देश्य के लिए अधूरा और अपर्याप्त है जिसके लिए इसका इरादा किया गया थाः

(5) किसी व्यक्ति द्वारा इसके तहत कार्य करने से इनकार करने के कारण, या इसके द्वारा सुरक्षित किए जाने के इरादे से किसी भी धन को आगे बढ़ाने के कारण, या इसके द्वारा दिए गए किसी पद से इनकार या अस्वीकृति के कारण, इच्छित उद्देश्य में पूरी तरह से विफल रहता हैः

(6) समान पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा प्रभावित होने और कम मूल्य के स्टाम्प लगाए जाने के परिणामस्वरूप संव्यवहार बेकार हो जाता हैः

(7) मूल्य में कमी है और इस तरह से प्रभावित होने का इरादा रखने वाला संव्यवहार उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी अन्य लिखत द्वारा किया गया है और कम मूल्य की मुहर लगी हैः

(8) अनजाने में और अवांछित रूप से खराब हो जाता है, और इसके बदले में समान पक्षकारों के बीच और उसी उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अन्य उपकरण को निष्पादित किया जाता है और विधिवत मुहर लगाई जाती हैः

बशर्ते, किसी निष्पादित लिखत के मामले में, कोई विधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई हो, जिसमें लिखत साक्ष्य के रूप में दिया या पेश किया जा सकता था या दिया जा सकता था और लिखत को रद्द करने के लिए दिया गया है।

स्पष्टीकरण।–धारा 32 के तहत कलक्टर का प्रमाण पत्र कि पूर्ण शुल्क जिसके साथ एक लिखत प्रभार्य है, का भुगतान किया गया है, इस धारा के अर्थ में एक छापित स्टाम्प है।

50. धारा 49 के तहत राहत के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए।– धारा 49 के तहत राहत के लिए आवेदन निम्नलिखित अवधियों के भीतर किया जाएगा, अर्थात-

(1) खंड (घ)(5) में उल्लिखित मामलों में, लिखत की तिथि से दो महीने के भीतरः

(2) स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई लिखत निष्पादित नहीं किया गया है, स्टाम्प खराब होने के छह महीने के भीतरः

(3) स्टाम्पित कागज के मामले में जिसमें किसी भी पक्षकार द्वारा किसी लिखत को निष्पादित किया गया है, लिखत की तिथि के बाद छह महीने के भीतर, या यदि यह दिनांकित नहीं है, तो उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित होने के बाद छह महीने के भीतर जिसके द्वारा इसे पहले या अकेले निष्पादित किया गया थाः

बशर्ते कि-

(क) जब खराब लिखत पर्याप्त कारणों से 1 [भारत] से बाहर भेज दिया गया हो, तो आवेदन [भारत] में वापस प्राप्त होने के छह महीने के भीतर किया जा सकता है;

(ख) जब अपरिहार्य परिस्थितियों में, कोई भी लिखत जिसके लिए किसी अन्य लिखत को प्रतिस्थापित किया गया है, उपरोक्त अवधि के भीतर रद्द करने के लिए नहीं दिया जा सकता है, तो प्रतिस्थापित लिखत के निष्पादन की तिथि के छह महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

*** *** ***

54. उपयोग के लिए आवश्यक नहीं होने वाले स्टाम्पों के लिए भत्ता।– जब किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा स्टाम्प या स्टाम्प हो जो खराब नहीं हुआ हो या इच्छित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त या बेकार नहीं हो गया हो, लेकिन जिसका तत्काल उपयोग नहीं हो, तो कलक्टर ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्टाम्प या स्टाम्प का मूल्य पैसे में चुकाएगा, प्रत्येक रुपये या एक रुपये के हिस्से के लिए [दस नए पैसे] की कटौती करना, ऐसे व्यक्ति द्वारा इसे रद्द करने के लिए वितरित करना, और कलक्टर की संतुष्टि को साबित करना-

(क) कि ऐसे एक स्टाम्प या कई स्टाम्प ऐसे व्यक्ति द्वारा उनका उपयोग करने के सदभावपूर्ण इरादे से खरीदे गए थे; और

(ख) कि उसने इसकी पूरी कीमत चुका दी है; और

> (ग) कि वे उस तिथि से अगले छह महीने की अवधि के भीतर खरीदे गए थे जिस दिन उन्हें इस तरह से वितरित किया गया थाः
> बशर्ते कि, जहां व्यक्ति स्टाम्पों का लाइसेंस प्राप्त विक्रेता है, वहां कलक्टर, यदि वह उचित समझता है, तो विक्रेता द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि का पुनर्भुगतान उपरोक्त किसी भी कटौती के बिना कर सकता है।"

31. अधिनियम की धारा 49 खराब स्टाम्पों के लिए भत्ते का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 49 के खंड (क) के संदर्भ में, एक कलक्टर अनजाने में और अवांछित रूप से खराब किए गए, मिटा दिए गए या लिखित रूप में त्रुटि से या किसी अन्य माध्यम से इच्छित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बनाए गए स्टाम्प के संबंध में भत्ता दे सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर भत्ते के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

32. हालांकि, एक कलक्टर केवल तभी स्टाम्प पेपर के लिए भत्ता दे सकता है जब निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है। स्टाम्प पेपर का जीवन अधिनियम की धारा 54 (ग) द्वारा सीमित नहीं है। **तिरुवेंगडम पिल्लई बनाम नवनीथम्मल और अन्य** में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थीः

> "11. .....दूसरा, चूंकि बिक्री के समझौते में उपयोग किए गए स्टाम्प पेपर छह महीने से अधिक पुराने थे, वे वैध स्टाम्प पेपर नहीं थे और परिणामस्वरूप, ऐसे "समाप्त हो चुके" कागजातों पर तैयार किया गया समझौता भी मान्य नहीं था। हम पहले दूसरे विवाद से निपटेंगे। स्टाम्प अधिनियम, 1899 में कहीं भी स्टाम्प पेपर के उपयोग के लिए कोई समाप्ति तिथि निर्धारित नहीं की गई है। धारा

> 54 में केवल यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के पास एक स्टाम्प पेपर है जिसका उसको कोई तत्काल उपयोग नहीं है (जो खराब नहीं हुआ है या अनुपयुक्त या बेकार नहीं), वह ऐसे स्टांप पेपर को कलेक्टर को सौंपकर उसके मूल्य की वापसी की मांग कर सकता है बशर्ते इसे अभ्यर्पित करने की तिथि से अगले छह महीने की अवधि के भीतर खरीदा गया हो। धारा 54 में निर्धारित छह महीने की अवधि की शर्त केवल अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर के मूल्य की वापसी की मांग के उद्देश्य से है, न कि स्टाम्प पेपर के उपयोग के लिए। धारा 54 के तहत स्टाम्प पेपर खरीदने वाले व्यक्ति को छह महीने के भीतर इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, निष्पादन की प्रस्तावित तिथि से छह महीने से अधिक पहले खरीदे गए स्टाम्प पेपर के लिए कोई बाधा नहीं है, जिसका उपयोग दस्तावेज़ के लिए किया जा रहा है।"

33. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 54 (ग) के तहत निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क के निर्वहन के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता के इस तर्क में काफी योग्यता है कि अधिनियम की धारा 54 के तहत भत्ता मांगने की समयावधि को उपलब्ध समय अवधि की तुलना में स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद केवल छह महीने तक सीमित करना एक विसंगति है। उन स्टाम्पों के संबंध में आवेदन करने के लिए जो खराब हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं या उपयोग के लिए अयोग्य हो गए हैं। अधिनियम की धारा 50 (2) के संदर्भ में, स्टाम्प पेपर के संबंध में अधिनियम की धारा 49 के तहत राहत के लिए एक आवेदन, जिस पर कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है, स्टाम्प खराब होने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि अधिनियम की

धारा 54 (घ) और 50 (2) के प्रावधानों की तुलना की जाती है, तो यह स्पष्ट होगा कि एक व्यक्ति स्टाम्प पेपर खराब होने के दो महीने बाद स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा, इसके बावजूद कि स्टाम्प खरीदने के छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वह स्टाम्प पेपर के संबंध में प्रतिदाय के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, जो कि उक्त कागज की खरीद की तिथि के छह महीने बाद पुरानी स्थिति में है।

34. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को प्रतिदाय से इनकार कर दिया गया है क्योंकि अधिनियम की धारा 54 (ग) के तहत शर्त पूरी नहीं हुई है। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध स्टाम्प पेपर अनजाने में मिटा दिए जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ता के पास बकाया स्टाम्प पेपर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करने के लिए दो महीने का समय होगा। हमारे विचार में, यदि अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों को उपरोक्त तरीके से पढ़ा जाता है, तो वे स्पष्ट रूप से मनमाने और अनुचित हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

35. यह सुस्थापित है कि एक विधायी अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है जब तक कि यह विपरीत नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें, जहाँ तक संभव हो, एक अधिनियम की व्याख्या इस तरह से करें ताकि वह संविधान के खिलाफ न हो।

36. यह भी अतिसामान्य है कि परिसीमा की अवधि दायित्व को समाप्त नहीं करती है, यह केवल उपचार के उपायों को समाप्त करती है। बुनियादी तर्क यह है कि किसी व्यक्ति को न्यायालयों और उपचारों का सहारा लेने से मना कर दिया जाए, यदि उसने अन्यथा एक उचित अवधि के भीतर इसका प्रयोग नहीं किया है।

37. अधिनियम की धारा 54 का अर्थ उपरोक्त सिद्धांतों से लगाया जाना आवश्यक है।

38. अधिनियम की धारा 54 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां स्टाम्प शुल्क तत्काल उपयोग का नहीं है। इसके अतिरिक्त, तीन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। पहला, कि स्टाम्प को उसके उपयोग के लिए एक सदभावनापूर्ण इरादे से खरीदा गया था। दूसरा, कि आवेदक ने इसके लिए पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है। और तीसरा, कि स्टाम्प छह महीने की अवधि के भीतर खरीदा गया था, उस तिथि से पहले जिस दिन उन्हें वितरित किया गया था।

39. ***राजीव नोहवार बनाम मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे और अन्य में***, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 52 की व्याख्या की थी, जिसे अधिनियम की धारा 54 के रूप में निम्नलिखित तरीके से कहा जाता हैः

"**21**. धारा 52 उन स्टाम्पों के मामले में भत्ते के प्रावधान से संबंधित है जिनकी उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार के स्टाम्प हैं जो उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं। पहला वह स्थान है जहाँ स्टाम्प खराब हो जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 47 में बताया गया है। दूसरा वह है जहाँ स्टाम्प खराब नहीं होता है लेकिन स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि खरीदार को इसका कोई उपयोग नहीं होता है। धारा 52 विशेष रूप से पहली श्रेणी को बाहर करती है क्योंकि यह पहले से ही धारा 47 के अंतर्गत आती है। यह प्रावधान केवल दूसरी श्रेणी के वर्ग पर लागू होता है। इस प्रकार, धारा 52 उन स्टाम्पों को शामिल करती है जो खराब नहीं हुए हैं, लेकिन बाद में किसी घटना के घटित होने से आवेदक के लिए कोई काम के नहीं हैं जो स्टाम्प की खरीद के उद्देश्य को शून्य या निरर्थक बना देता है। धारा 52-क के प्रयोग के लिए, आवेदक को इसका उपयोग करने के सदभावपूर्ण इरादे से पूरी कीमत चुकाकर स्टाम्प खरीदना होगा। हालांकि, स्टाम्प खरीद के छह महीने के भीतर, खरीद का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति कई परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने इमारत खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर प्राप्त किया होगा। हालाँकि, बिक्री के समझौते को निष्पादित करने से पहले, क्षेत्र में भूकंप आने के बाद इमारत जर्जर हो जाती है। ऐसे में स्टाम्प पेपर का कोई फायदा नहीं है। इसमें एक ऐसा मामला भी शामिल हो सकता है जहां विक्रेता ने स्टाम्प पेपर की खरीद के बाद संपत्ति बेचने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। ऐसे मामलों में, खरीदे गए स्टाम्प का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इसे खरीदा गया था, वह पूरा नहीं हो सका था।

22. यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 52 में "जिसके लिए उसका तत्काल कोई उपयोग नहीं है" शब्दों का उपयोग केवल उन मामलों को शामिल करेगा जहां स्टाम्प की खरीद का उद्देश्य अभी भी मान्य है, लेकिन उद्देश्य के निष्पादन में देरी हुई है और "तत्काल" नहीं है। हालाँकि, प्रावधान के समग्र अध्ययन को देखते हुए इस तरह की व्याख्या गलत है।

"तत्काल" वाक्यांश के उपयोग को प्रावधान द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। चूंकि इसके दायरे में आने वाले मामलों के लिए धारा 52 में छह महीने की परिसीमन अवधि लगाई गई है, इसलिए "तत्काल उपयोग नहीं" वाक्यांश के उपयोग की व्याख्या या तो उद्देश्य का स्थायी परित्याग या उद्देश्य के निष्पादन में देरी (स्टाम्प की खरीद से छह महीने से अधिक) के रूप में की जानी चाहिए।

23. हालांकि, धारा 52 केवल उन मामलों में लागू होगी जहां आवेदक को पता था कि खरीदी गई स्टाम्प खरीद की तिथि से छह महीने के भीतर उपयोग के लिए आवश्यक नहीं है। यह प्रावधान मनमाने ढंग से उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां स्टाम्प के खरीदार को यह जानकारी नहीं थी कि स्टाम्प की खरीद के छह महीने के भीतर स्टाम्प के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा मामले में, अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि इसे खरीदने के छह महीने के भीतर स्टाम्प की आवश्यकता नहीं थी। वह बिल्डर के साथ अपने अधिकारों को लेकर एक प्रामाणिक प्रतिस्पर्धा में था। इसलिए, अपीलार्थी का मामला भी अधिनियम की धारा 52 के तहत नहीं आएगा।"

40. ***राजीव नौहवार*** के मामले में अपीलार्थी ने अपने द्वारा बुक किए गए आवासीय फ्लैट के संबंध में बिक्री समझौते के निष्पादन के उद्देश्य से 16.08.2014 को स्टाम्प पेपर खरीदा था। चूंकि, अपीलार्थी और बिल्डर के बीच विवाद उत्पन्न हो गए थे और उक्त स्टाम्पों का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष शिकायत दर्ज की जिसका निपटान 06.05.2016 (लगभग दो साल बाद) को किया गया। अपीलार्थी को या तो उक्त आवासीय फ्लैट खरीदने या ब्याज और मुआवजे के साथ भुगतान की गई राशि का प्रतिदाय प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था।

चूंकि, अपीलार्थी ने बिल्डर से प्रतिदाय प्राप्त करने का फैसला किया और आवासीय इकाई की खरीद के साथ आगे नहीं बढ़ा, इसलिए उसके द्वारा खरीदा गया ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र अब उपयोगी नहीं था। इस प्रकार, उसने इसके तुरंत बाद 16.07.2016 को स्टाम्प पेपर के प्रतिदाय के लिए आवेदन किया। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 50 (2) के प्रावधानों को पढ़ा - जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 54 में समान रूप से लिखा गया है - और इसे केवल उन मामलों तक सीमित रखा जहां आवेदक को पता था कि स्टाम्प खरीद के छह महीने की अवधि के भीतर उपयोग में नहीं आएगा, या तो इसलिए कि जिस उद्देश्य के लिए इसे खरीदा गया था उसे छोड़ दिया गया है, या इसे निष्पादित करने में छह महीने की देरी हुई थी। उक्त मामले के तथ्यों में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि खरीदे गए स्टाम्प का उसकी खरीद से छह महीने की अवधि के भीतर कोई उपयोग नहीं होगा और प्रातिदाय की अनुमति होगी।

41. वर्तमान मामले में तथ्य भिन्न नहीं हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कृषि भूमि की खरीद के लिए उसके आवेदन को संसाधित नहीं किया जाएगा और विषय संपत्ति की खरीद के लिए संव्यवहार छह महीने की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुमति का इंतजार किया था। यह सुनिश्चित होने के बाद कि संबंधित

प्राधिकारी से अनुमति/एनओसी नहीं मिल रही थी, उसने प्रतिदाय के लिए आवेदन किया।

42. निर्विवाद रूप से, यदि अधिनियम की धारा 54 को ***राजीव नोहवार*** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए तरीके से समझा जाता है, तो उक्त प्रावधान को मनमाना नहीं माना जा सकता है। यह किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 49 के साथ पठित अधिनियम की धारा 50 की योजना के साथ संघर्ष नहीं करता है।

43. स्टाम्पों के लिए भत्ता उन मामलों में उपलब्ध है जो अधिनियम की धारा 49 के तहत आते हैं, बशर्ते कि अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित समय के भीतर आवेदन किया जाए। इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जहां चार्जिंग घटना नहीं हुई है, यानी किसी लिखत को निष्पादित नहीं किया गया है। यह उन मामलों को भी शामिल करेगा जहां एक लिखत को स्टाम्प पेपर पर संलग्न किया गया है, लेकिन संव्यवहार को किसी एक पक्षकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है जैसा कि अधिनियम की धारा 49 (घ)(5) के तहत अनुध्यात किया गया है।

44. एक व्यक्ति जिसके पास एक अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर है, वह कलेक्टर को छह महीने की अवधि के भीतर इसके प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का भी हकदार है, जब उसे पता चलता है कि उक्त अवधि के दौरान उसका तत्काल उपयोग नहीं होगा। हालाँकि, यह एक मामले के संबंध में वैधानिक प्रावधानों में

एक अंतर को उजागर करता है, जहाँ एक व्यक्ति सदभावपूर्ण इरादे से पूरा भुगतान करके स्टाम्प पेपर खरीदता है और छह महीने की अवधि के बाद पता चलता है कि स्टाम्प पेपर का कोई उपयोग नहीं है। ***राजीव नौहवार*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, अधिनियम की धारा 54 ऐसे मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि स्टाम्प शुल्क खरीदने वाले व्यक्ति को स्टाम्प खरीदने के छह महीने की अवधि के भीतर यह जानकारी नहीं थी कि खरीदे गए स्टाम्पों का तत्काल कोई उपयोग नहीं होगा। यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्टाम्प पेपर के संबंध में कोई भत्ता लेने का कोई उपाय नहीं होगा।

45. हम यह प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं कि अधिनियम का विधायी इरादा ऐसे व्यक्ति को अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर के संबंध में किसी भी भत्ते का दावा करने से बाहर करना था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद दिए गए मामले में प्रतिदाय के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है।

46. भारत के संविधान का अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार को छोड़कर कर के संग्रह को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम एक विधि है और इसलिए, यह तर्क देना गलत है कि कर्तव्यों का संग्रह विधि के प्राधिकार के बिना है। अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए स्पष्ट प्रावधानों की कमी

का परीक्षण भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

47. उपरोक्त संबंध में ***समिति-जी.एफ.आई.एल. बनाम लिब्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** मामले को संदर्भित करना प्रासंगिक है। उक्त मामले में, आवेदकों ने स्टाम्प पेपर खरीदा था और उन्हें ***भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड*** , गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के मामलों के संबंध में (जी.एफ.आई.एल समिति) के रूप में जाना जाता है, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति को सौंप दिया था। कुछ संपत्तियों के संबंध में बिक्री विलेख स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किए गए थे, हालांकि, संपत्तियों का कब्जा आवेदकों को नहीं सौंपा गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा संव्यवहार को रद्द कर दिया गया क्योंकि जी.आई.एफ.एल. समिति आवेदकों को बेची गई संपत्तियों का कब्जा सौंपने की स्थिति में नहीं थी। न्यायालय ने जी.एफ.आई.एल. समिति को आवेदकों द्वारा जमा की गई राशि वापस करने का भी निर्देश दिया। जी.एफ.आई.एल. समिति ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करके आदेशों को चुनौती दी। स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय को कलक्टर द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि आवेदन छह महीने की अवधि के बाद दायर किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्टाम्प पेपर 02.09.2011 को खरीदे गए थे, बिक्री विलेख 23.12.2011 पर निष्पादित किए गए थे और प्रतिदाय के

लिए आवेदन 22.10.2012 और 02.11.2012 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकरण को पूरे स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय का निर्देश दिया। स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय का निर्देश देने के लिए न्यायालय को प्रेरित करने के कारणों को निर्धारित करने वाला प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैः-

> "24. हमारी सुविचारित राय में, ऊपर उल्लिखित निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक राज्य के राजकोष से 6.22 करोड़ रुपये की पूरी स्टाम्प शुल्क राशि के प्रतिदाय का दावा करने के भी हकदार हैं, जिसे उसने संबंधित संपत्तियों के संबंध में अपने पक्ष में बिक्री कार्यों के निष्पादन के लिए खर्च किया था। ऐसा हम निम्नलिखित कारणों से कहते हैं।
>
> 25. सबसे पहले, यह माना जा सकता है कि संव्यवहार मूल रूप से पक्षकारों के बीच होता है, यानी जी.एफ.आई.एल. समिति द्वारा आवेदकों को विचाराधीन संपत्तियों की बिक्री का इरादा पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से पूरा नहीं किया गया था और विफल रहा था। दूसरा, यह न्यायालय सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पक्षकारों के लिए मूल रूप से इच्छित संव्यवहार को समाप्त करना संभव नहीं था और इसे रद्द करते हुए विक्रेता (जी.एफ.आई.एल. समिति) को आवेदकों को पूर्ण बिक्री राशि प्रतिदाय करने का निर्देश दिया और साथ ही साथ आवेदकों को दिनांक 26-9-2012 के आदेश द्वारा राज्य सरकार से स्टाम्प शुल्क राशि के प्रतिदाय का दावा करने की अनुमति दी। तीसरा, इस न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, आवेदकों को उपार्जित स्टाम्प शुल्क के लिए भुगतान की गई राशि के प्रतिदाय का दावा करने का अधिकार था। चौथा, यह न्यायालय की निगरानी में होने वाला संव्यवहार है, इसलिए कोई भी पक्षकार न्यायालय की अनुमति के बिना इस मामले में कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं था। पाँचवाँ, आवेदकों ने पूरे अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि विचाराधीन संव्यवहार को पूरा किया जाए जैसा

कि मूल रूप से इरादा था, लेकिन जिन कारणों से वे जिम्मेदार नहीं थे, संव्यवहार को पूरा नहीं किया जा सका। अंत में, कानूनी रूप से आवेदक राज्य से ऐसे सभी लाभों/लाभों की बहाली का दावा करने के हकदार थे, जब इस न्यायालय द्वारा 26-9-2012 को अनुबंध अधिनियम की धारा 65 में निहित सिद्धांत के आलोक में संव्यवहार रद्द कर दिया गया था, जो एक अनुबंध के लिए पक्षकार को अन्य पक्षकार से ऐसे सभी लाभों की बहाली की मांग करने में सक्षम बनाता है जो उन्होंने ऐसे अनुबंध से तब लिया था जब अनुबंध अमान्य पाया जाता है या अमान्य हो जाता है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें विचाराधीन अनुबंध इस न्यायालय के दिनांक 26-9-2012 के आदेश द्वारा रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप अमान्य हो गया था, जो आवेदकों को स्टाम्प पेपर की खरीद के लिए राज्य को भुगतान किए गए धन के प्रत्यास्थापन की मांग करने का अधिकार देता था।

26. हमारी सुविचारित राय में, इस प्रकार के मामले का निर्णय लेते समय, हमें साम्यता पर एक उक्ति को भी ध्यान में रखना होगा, जो अच्छी तरह से स्थापित है, अर्थात् एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवबिट का अर्थ है- न्यायालय का कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। *ब्रूम्स लीगल मैक्सिम्स*, 10वां संस्करण, 1939 पृ. 73 में, इस उक्ति को यह कहते हुए समझाया गया है कि यह न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है और कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह उक्ति विधि में भी समझाई गई है और हमारे विधिशास्त्र पर लागू होती है।

27. इस प्रकार यह समानता के सिद्धांत पर आधारित विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को उसकी कोई गलती नहीं होने पर दंडित नहीं किया जा सकता है और न्यायालय का कार्य उसके किसी भी अधिकार के प्रति पक्षपात नहीं करेगा।

28. हमारी सुविचारित राय में, उपरोक्त उक्ति इस मामले में पूरे जोश के साथ लागू होगी और यदि यही स्थिति है तो आवेदक, हमारी राय में, राज्य सरकार से स्टाम्प शुल्क की पूरी राशि के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार हैं जो उन्होंने संबंधित संपत्तियों के संबंध में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए स्टाम्प पेपर खरीदने में खर्च की थी। वास्तव में पूर्वोक्त बताए गए छह कारणों के आलोक में, जो हमारी सुविचारित राय में, स्पष्ट रूप से उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हैं, राज्य को अपने साथ आवेदकों द्वारा भुगतान की गई स्टाम्प शुल्क की राशि को बनाए रखने के लिए एस.डी.एम. के आदेश का बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तकनीकी आधारों पर आवेदकों के प्रतिदाय के सदभावपूर्ण दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

29. यह मामला हमें *फर्म कालूराम सीताराम बनाम भारत डोमिनियन* में मुख्य न्यायमूर्ति, एम.सी. चगला की टिप्पणियों की याद दिलाता है। विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति ने अपनी विशिष्ट लेखन शैली में पैरा 19 में कहा: (फर्म कालूराम मामला एससीसी ऑनलाइन बॉम)

> "19. ...हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिला है कि जब राज्य किसी अपराध से निपटता है तो उसे सामान्य रूप से तकनीकी बातों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला है, भले ही कानूनी बचाव इसके लिए खुला हो, लेकिन इसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि प्रख्यात न्यायाधीशों ने कहा है।

हम उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं, क्योंकि हमारी सुविचारित राय में ये टिप्पणियां राज्य के खिलाफ चल रहे मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं क्योंकि परिसीमा के अनुरोध के अलावा, राज्य के पास अपनी कार्रवाई का बचाव करने के लिए कोई मामला नहीं है।

30. ऊपर हमने जो कहा है, उसके अलावा भी जब हम अधिनियम की धारा 49 और 50 के आलोक में आवेदकों के मामले की जांच करते हैं, तो हम

> पाते हैं कि आवेदकों के मामले को अधिनियम की धारा 50 (3) के साथ धारा 49 (घ)(2) के तहत लाया जा सकता है ताकि राज्य स्टाम्प शुल्क राशि के प्रतिदाय की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार कर सके। वह व्याख्या, जो न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम एतद् द्वारा ऐसा करते हैं।"

48. ***राष्ट्रीय निवेशक मंच विनियमन बनाम गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड*** के मामले में, जी.एफ.आई.एल. समिति ने पंचकूला जिले में 1398 कनाल और 3 मरला भूमि की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कीं, जिसमें एक आंशिक रूप से निर्मित पर्यटक परिसर भी शामिल था। उक्त मामले में आवेदक सबसे अधिक बोली लगाने वाला था और उसके पक्ष में बोली की पुष्टि की गई थी। इसके बाद आवेदक ने स्टाम्प शुल्क के लिए ₹2,50,02,000/- जमा किए थे और उपरोक्त राशि के लिए स्टाम्प पेपर भी खरीदा गया था। हालाँकि, संव्यवहार विफल हो गया क्योंकि 21 कनाल और 12 मरला भूमि को उस भूमि के हिस्द्वारा की स्थल योजना में शामिल नहीं किया गया था जिस पर रिसॉर्ट का निर्माण किया जाना था और बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया था। आवेदक के पक्ष में पुष्टि की गई बिक्री को रद्द कर दिया गया और जी.आई.एफ.एल. समिति को प्राप्त प्रतिफल को प्रतिदाय करने का निर्देश दिया गया। आवेदक ने स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पंचकूला में भी आवेदन किया। हालाँकि, इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि आवेदन स्टाम्प पेपर की खरीद की तिथि के लगभग एक साल,

छह महीने बाद दायर किया गया था। उस स्थिति में पेपर 10.04.2012 को खरीदा गया था और प्रतिदाय के लिए आवेदन 10.10.2013 को किया गया था। निम्नलिखित संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "8. शाब्दिक रूप से, धारा 50(2) इंगित करती है कि मुद्रांकित कागज के मामले में, जिस पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है, धारा 49 के तहत राहत के लिए आवेदन, स्टाम्प खराब होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि धारा 50 (3) उस स्थिति से संबंधित है जहां एक स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है और एक लिखत को निष्पादित किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी, पक्षकारों के लिए प्रतिदाय के लिए आवेदन करना खुला है।
>
> 9. "खराब" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, धारा 49 में विस्तार से बताया गया है, जिसमें उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जब स्टाम्प पेपर को अनजाने में और हस्ताक्षरित रूप से खराब कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है या लिखित रूप में त्रुटि या किसी अन्य माध्यम से उस उद्देश्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, इससे पहले कि किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लिखे गए किसी भी लिखत को निष्पादित किया जाता है, और जब किसी दस्तावेज़ पर स्टाम्प पूरी तरह से या आंशिक रूप से लिखा जाता है, लेकिन जिस पर हस्ताक्षर या निष्पादित नहीं किया जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 50 (2) स्टाम्प खराब होने के बाद ही छह महीने की सीमा बनाने के लिए लागू होती है। यहां तक कि जब पक्षकार किसी ऐसे दस्तावेज़ का उपयोग करते हैं जिस पर "किसी भी लिखत को निष्पादित किया गया है", तब कलेक्टर के पास उचित प्रतिदाय करने का अधिकार है, जब तक कि आवेदन लिखत/निष्पादन की तिथि से छह महीने के भीतर किया जाता है। इसलिए, न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में प्रतिदाय के अनुदान में कोई बाधा नहीं देखता है। वी.के. सुंदरम बनाम तहसीलदार, पलक्कड़, 1973 एम.एल.जे. 433 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय में उस स्थिति से निपटा गया जहां संव्यवहार पूरा नहीं

किया जा सका और यह विफल हो गया। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मूल राज्य में वापस प्राप्त होने के बाद प्रतिदाय किया जा सकता था। वर्तमान मामले में, प्रतिदाय का दावा करने का अवसर 30.09.2013 से पहले उत्पन्न नहीं हो सकता था, यानी, इससे पहले कि इस न्यायालय ने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी गई और इसे रद्द कर दिया गया, जिसने प्रभावी रूप से पिछली पुष्टि को रद्द कर दिया। आवेदक एस.ए.एस. ने इसके तुरंत बाद अपने 8.10.2013 के पत्र के माध्यम से कलेक्टर से संपर्क किया। <u>इस प्रकार, वर्तमान मामले में परिसीमन की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जब प्रतिदाय का कारण उत्पन्न हुआ था, न कि उस तिथि से जब स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया गया था।</u>

10. अन्यथा भी, इस न्यायालय की राय है कि पुनर्स्थापन का बड़ा सिद्धांत लागू होगा और सिद्धांत के आवेदन द्वारा न्यायालय के किसी कार्य के लिए पूर्वाग्रह के साथ एसएएस का दौरा नहीं किया जा सकता है, *एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट,* अर्थात् न्यायालय का कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।"

(जोर दिया गया)

49. ***डॉ. पूर्णिमा आडवाणी के*** मामले में, आवेदक ने ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र के खो जाने के कारण ₹28,10,000/- की स्टाम्प शुल्क राशि के प्रतिदाय की मांग की। उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ई-स्टाम्प खो जाने के मामलों में स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्टाम्प पेपर खो जाने के मामलों को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 49(क) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'मिटाने' का अर्थ लगाया था। न्यायालय ने इस सिद्धांत का

भी उल्लेख किया कि विधायी आशय को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय अधिनियम के पाठ को पूरक बनाने के लिए खुला रहेगा।

50. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अपील की। हालाँकि, उक्त अपील दिनांक 18.03.2019 के एक आदेश ***(रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य बनाम डॉ. पूर्णिमा आडवाणी और अन्य)*** द्वारा खारिज कर दी गई थी। इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "7. विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित एक विस्तृत आदेश, हमारे सुविचारित विचार में, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि अधिनियम में प्रतिदाय का प्रावधान नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिदाय की अनुमति विशेष रूप से तब नहीं दी जा सकती है जब हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि विधायिका ने उन सभी स्थितियों की कल्पना नहीं की होगी जो उत्पन्न हो सकती हैं या परिस्थितियों का एक समूह जो एक विशेष तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है, भुगतान किए गए शुल्क की वापसी हो सकती है। एक बार जब यह दिखाने के लिए सामग्री थी कि ई-स्टाम्प पेपर के नुकसान के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा वास्तविक था, तो यह कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं थी। यह एक वास्तविक कार्य था और यदि प्रतिदाय के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में, विद्वान रिट न्यायालय ने ऐसा करने के विस्तृत कारणों को दर्ज करने के बाद, विशेष रूप से करों और शुल्कों के प्रतिदाय के संबंध में विधि और पूर्व निर्णय पर चर्चा करने के बाद, एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की, तो हम इस मामले में उदारता

> करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान रिट न्यायालय द्वारा अपनाए गए एक उचित दृष्टिकोण में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

51. जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए शुल्क लगाने की घटना शुल्क के लिए प्रभार्य लिखत का निष्पादन है। जैसा कि ऊपर भी देखा गया है, अधिनियम में उन स्टाम्पों के प्रतिदाय का प्रावधान है जो या तो खराब हो गए हैं या अप्रयुक्त रह गए हैं। संव्यवहार को रिकॉर्ड करने वाले लिखतों पर लगाया गया शुल्क जो अमान्य हो गया है, भी प्रतिदाय योग्य है।

52. अधिनियम की योजना को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायी इरादा स्टाम्प शुल्क वापस करने के लिए है ताकि स्टाम्प की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि वापस की जा सके, यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है या स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के दायित्व के निर्वहन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शुल्क का प्रतिदाय उन मामलों में भी प्रदान किया जाता है जहां स्टाम्प शुल्क का भुगतान निष्पादन पर किया जाता है, लेकिन बाद में संव्यवहार को अमान्य माना जाता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसमें कमी है क्योंकि इसमें अप्रयुक्त स्टाम्पों के प्रतिदाय के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं हैं, जहां अप्रयुक्त स्टाम्पों के संबंध में प्रतिदाय मांगने के लिए वाद हेतुक कारण छह महीने की अवधि के बाद उत्पन्न हुआ है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***राजीव नोहवार*** के मामले में कहा, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा

52 (जिसे अधिनियम की धारा 54 के समान कहा जाता है) केवल उन मामलों में लागू होती है जहां आवेदक को पता था कि खरीदी गई स्टाम्प का उपयोग खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, प्रयुक्त शब्द *'तत्काल उपयोग'* को उक्त प्रावधान द्वारा निर्धारित परिसीमन अवधि के संदर्भ में पढ़ा गया था। 'तत्काल उपयोग' शब्दों की व्याख्या उस उद्देश्य का स्थायी परित्याग करने के लिए की जाती है जिसके लिए स्टाम्प खरीदे गए थे या जिस उद्देश्य के लिए इसे खरीदा गया था उसमें छह महीने से अधिक की देरी हुई है।

53. हमारा विचार है कि कोई शुल्क देय न होने पर भी एकत्र की गई स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय से इनकार करना क्योंकि चार्जिंग घटना नहीं हुई है और प्रतिदाय का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, स्टाम्प के लिए भत्ता प्रदान करने की योजना के खिलाफ है। स्पष्ट रूप से, यदि अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाता है कि स्टाम्प शुल्क के संग्रह और प्रतिधारण की अनुमति दी जाए, जो प्रतिदाय के लिए किसी भी उपाय के बिना प्रभार्य नहीं है, तो यह अधिनियम की योजना के विपरीत होगा। यदि अधिनियम की धारा 54 को वर्तमान जैसे मामले में प्रतिदाय मांगने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह मनमानेपन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

54. हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह अच्छी तरह से सुस्थापित किया गया है कि एक अधिनियमिति को संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए और न्यायालय को अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, "भले ही इसके लिए किसी वैधानिक प्रावधान को एक तनावपूर्ण अर्थ, या उसके ऊपर दिखाई देने वाले अर्थ की तुलना में संकीर्ण या व्यापक अर्थ देने की आवश्यकता हो। ऐसा तभी होता है जब ऐसा करने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तभी न्यायालय को किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए।

55. ***सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम एशर*** में, लॉर्ड डेनिंग ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

> "जब कोई दोष प्रकट होता है तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ जोड़कर प्रारूपकार को दोषी नहीं ठहरा सकते है। उन्हें संसद के इरादे को जानने के रचनात्मक कार्य पर काम करना चाहिए ... और फिर उसे विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" देने के लिए लिखित शब्द को पूरक करना होगा... एक न्यायाधीश को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का पता चलता, तो वे इसे कैसे ठीक करते? फिर उन्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह दरारों को दूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए।"

56. ***एम. पेंटिया बनाम मुद्दला वीरमल्लप्पा*** में: उच्चतम न्यायालय ***सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर*** के निर्णय के उपरोक्त अनुच्छेद में दिए

गए प्रस्ताव से सहमत था। न्यायालय ने मैक्सवेल के निम्नलिखित प्रतिपादना को भी संदर्भित किया था और अभिनिर्धारित किया था कि यह अच्छी तरह से स्थापित थाः

> "27. जहां किसी अधिनियम की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियमिति के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या अर्थहीनता, कठिनाई या अन्याय, जो संभवतः इरादा नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है...जहां किसी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, वहां आवश्यकता के मामले में या उपयोग की गई भाषा की आत्यन्तिक अस्पष्टता को छोड़कर, प्रारूपकार की अकौशलता या अधिनियम के बारे में अज्ञानता से इसे आकृत नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, न्यायालय किसी अधिनियम में शब्दों को प्रतिस्थापित करने, या उसमें शब्द जोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं, और यह कहा गया है कि वे ऐसा केवल तभी करेंगी जहाँ अच्छी समझ के प्रति प्रतिकूलता होगी।"

57. ***अहमदाबाद नगर निगम और अन्य बनाम निलयभाई आर. ठाकुर और अन्य*** में, उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि श्रीमती एन.एच.एल. म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए उक्त नियमों का नियम 7 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन था क्योंकि इसने "स्थानीय छात्रों" की परिभाषा को उन छात्रों तक सीमित कर दिया था जिन्होंने अहमदाबाद नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित संस्थानों से अपनी एस.सी.सी. परीक्षा और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इस प्रकार, जिन छात्रों ने नगरपालिका सीमा के ठीक बाहर स्थित अपनी

योग्यता शिक्षा पूरी की थी, उन्हें स्थानीय छात्रों के रूप में नहीं माना जाता था और इस प्रकार, उन्हें स्थानीय छात्रों के रूप में प्रवेश लेने से बाहर रखा गया था। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने संबंधित नियमों के नियम 7 को अनुच्छेद 14 के दोष से बचाने के लिए प्रभावी रूप से फिर से लिखा और अहमदाबाद शहरी विकास क्षेत्र के भीतर स्थित स्कूलों और कॉलेजों से अपनी योग्यता शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को भी स्थानीय छात्रों की परिभाषा के भीतर शामिल किया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

> "13. यद्यपि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सही था कि विचाराधीन नियम मनमानेपन के एक तत्व से ग्रस्त है, हमारी राय है कि इसका समाधान उन आक्षेपित नियमों को निरस्त करने में निहित नहीं है जिनका अस्तित्व संस्थान के साथ-साथ अहमदाबाद नगर निगम की जनता के व्यापक हित में आवश्यक है। इस नियम को निरस्त करने का अर्थ होगा देश में सभी योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए संस्थान के दरवाजे खोलना जो निश्चित रूप से स्थानीय निकाय द्वारा संस्थान की स्थापना के उद्देश्य के विपरीत होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्थानीय निकाय उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना अपना कर्तव्य मानता हो। इस मामले में, पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से अपने निवासी छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद नगर पालिका की सराहना की जानी चाहिए। अखिल भारतीय योग्य छात्रों को उपलब्ध सीटों का 15 प्रतिशत प्रदान करके अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया। अपने छात्रों को अधिक से अधिक सीटें प्रदान करने की इसकी इच्छा एक स्वाभाविक और वास्तविक इच्छा है जो इसके नगरपालिका बाध्यता से उत्पन्न होती है जिसे यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए, नगरपालिका के प्रशंसनीय उद्देश्य की रक्षा करने की

दृष्टि से, हम आक्षेपित नियम को एक उचित और व्यावहारिक व्याख्या देना और इसकी वैधता को बनाए रखना आवश्यक समझते हैं।

14. नियम 7 की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, जिसे हम सही व्याख्या मानते हैं, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कानून बनाने के विधायी परमाधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन नियम केवल एक अधीनस्थ विधान है और नियम को अधिकारातीत घोषित करके, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, हम उस उद्देश्य को केवल नुकसान पहुंचाएंगे जिसके लिए नगर पालिका ने इस नियम को लागू किया था। इसलिए, हम *सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम एशर* [(1949) 2 ऑल ई.आर. 155 (सि.अ.)] के मामले में लॉर्ड डेनिंग द्वारा भरोसा किए गए प्रसिद्ध और अक्सर उद्धृत सिद्धांत पर भरोसा करना उचित समझते हैं, जिसमें उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया:

> "जब कोई दोष प्रकट होता है तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ जोड़कर प्रारूपकार को दोषी नहीं ठहरा सकते है। उन्हें संसद के इरादे को जानने के रचनात्मक कार्य पर काम करना चाहिए ... और फिर उसे विधायिका के इरादे को "बल और जीवन" देने के लिए लिखित शब्द को पूरक करना होगा... एक न्यायाधीश को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का पता चलता, तो वे इसे कैसे ठीक करते? फिर उन्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह दरारों को दूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए।"

लॉर्ड डेनिंग द्वारा दिए गए विधि के इस कथन का इस न्यायालय द्वारा *एम. पेंटीयाह बनाम मुद्दला वीरमल्लप्पा* [एआईआर 1961 एससी 1107] के मामले में लगातार पालन किया गया है और हाल ही में *एस. गोपाल रेड्डी बनाम आं.प्र. राज्य* [(1996) 4 एससीसी 596,608 : 1996 एससीसी

(आप.) 792 एआईआर 1996 एससी 2184,2188] (एससीसी 608: एआईआर पृ. 2188) के मामले में इसका अनुसरण किया गया है। इस प्रकार, व्याख्या के उपरोक्त नियम का पालन करते हुए और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले आक्षेपित नियम में खामियों को दूर करने की दृष्टि से, हम नियम 7 की व्याख्या इस प्रकार करते हैं:

> "स्थानीय छात्र का अर्थ है एक छात्र जिसने एच.एस.सी. (एस.एस.सी.)/नई एस.एस.सी. परीक्षा और अहमदाबाद नगर निगम सीमा के भीतर स्थित किसी भी उच्च विद्यालय या महाविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसमें अहमदाबाद नगर पालिका का एक स्थायी निवासी छात्र शामिल है जो अहमदाबाद शहरी विकास क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी उच्च विद्यालय या महाविद्यालय से उपरोक्त योग्यता प्राप्त करता है।"

58. अधिनियम की धारा 54 (ग) को पढ़ने से पता चलता है कि यह स्टाम्प शुल्क खरीदने की तिथि से प्रतिदाय का दावा करने के लिए छह महीने की अवधि प्रदान करता है। हालाँकि, इस प्रावधान का कोई उपयोग नहीं है यदि व्यक्ति को पता नहीं है कि उक्त अवधि के भीतर स्टाम्प पेपर के लिए उसका कोई तत्काल उपयोग नहीं है [जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने ***राजीव नौहवार*** में अभिनिर्धारित किया था]। यह भी दृश्यमान है कि विधायी इरादा स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए जमा की गई राशि को हड़पना नहीं है, जहां ऐसा कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है। जैसा कि पहले भी देखा गया है, उन मामलों में भी जहां स्टाम्प पेपर में खराबी है या मिटाया गया है, विधायिका ने स्टाम्प खराब होने या मिटाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर प्रतिदाय की

अनुमति देने के लिए स्पष्ट प्रावधान किया है, जो स्टाम्प खरीदने की तिथि से छह महीने की अवधि से अधिक हो सकती है।

59. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि अधिनियम की धारा 54 (ग) के प्रावधानों को उस तरीके से पढ़ा जाता है जैसा कि राजस्व की ओर से तर्क दिया गया है, तो स्टाम्प पेपर के मामले में शुल्क का प्रतिदाय स्वीकार्य होगा जो खरीद के छह महीने की अवधि के बाद खराब हो गया है, लेकिन उक्त अवधि के बाद बिना खराब हुए स्टाम्प के संबंध में कोई प्रतिदाय स्वीकार्य नहीं होगा, भले ही प्रतिदाय मांगने के लिए वाद हेतुक कारण सामने नहीं आया हो। हम इस व्याख्या को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं। हमारा विचार है कि अधिनियम की धारा 54 की भाषा एक ऐसी व्याख्या को स्वीकार करती है जहां अधिनियम की धारा 54 (ग) के प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहां प्रतिदाय मांगने वाला व्यक्ति स्टाम्पों की खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर जागरूक होता है, लेकिन वह जानता है कि उसने स्टाम्पों की खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उनका तत्काल उपयोग नहीं किया है। अधिनियम की धारा 54(ग) की उक्त आवश्यकता उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आवेदक को पता नहीं है कि वह इसकी खरीद की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर स्टाम्प पेपर का तत्काल उपयोग नहीं करेगा। ***राष्ट्रीय निवेशक मंच*** में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कहा था कि उसने दी गई परिस्थितियों में प्रतिदाय के प्रति अनुदान में कोई बाधा नहीं

देखी। इस न्यायालय ने यह भी कहा था कि परिसीमन की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जब प्रतिदाय का कारण उत्पन्न होता है न कि उस तिथि से जब स्टाम्प पेपर खरीदा जाता है।

60. प्रश्न यह उठता है कि यदि अधिनियम की धारा 54(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तो परिसीमन की अवधि क्या होगी। ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड*** में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन मामलों में जहां परिसीमन की अवधि निर्धारित नहीं है, आवेदन एक उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि किसी अधिनियम के लिए कोई समय प्रदान नहीं किया गया है, तो उसे उचित अवधि में किया जाना चाहिए। एक उचित अवधि क्या होगी, इसका अर्थ अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 54(ग) और अधिनियम की धारा 50 इंगित करती है कि भत्ते की मांग के लिए अवधि को सीमित करने का विधायी इरादा वाद हेतुक कारण उत्पन्न होने के बाद छह महीने से अधिक नहीं है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां आवेदक इस बात से अवगत होने के छह महीने की अवधि के भीतर अप्रयुक्त स्टाम्प/स्टाम्प प्रमाणपत्र के प्रतिदाय के लिए आवेदन करता है कि उसके पास इसका कोई तत्काल उपयोग नहीं है, तो प्रतिदाय के दावे को विलंबित नहीं कहा जा सकता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह, स्पष्ट रूप से, अधिनियम की धारा 54 के खंड(क)

और (ख) को संतुष्ट करने वाले आवेदक के अधीन है-स्टाम्पों को उनके उपयोग के वास्तविक उद्देश्य से पूर्ण विचार-विमर्श करके खरीदा जाना चाहिए।

61. वर्तमान मामले में, यह प्रतिवाद नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता ने यह जानने के तुरंत बाद प्रतिदाय के लिए आवेदन किया था कि विषयगत संपत्ति खरीदने के लिए एनओसी आने वाली नहीं थी।

62. याचिकाकर्ता के दावे को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह दृश्यमान है कि याचिकाकर्ता ने इस गलत धारणा के तहत स्टाम्प खरीदे थे कि विषयगत संपत्ति के लिए एनओसी आने वाली है और उक्त गलती के बारे में पता चलने पर तुरंत प्रतिदाय की मांग की थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कर लगाने की घटना नहीं हुई है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसके द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। स्पष्ट रूप से, अगर याचिकाकर्ता ने स्टाम्प प्रमाणपत्र नहीं खरीदा होता तो ऐसी कोई राशि बरामद नहीं की जा सकती थी। कर के लिए प्रभार्य लिखत को कभी भी निष्पादित नहीं किया गया था और इस प्रकार, एकत्र किया गया स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस तरह के कर का प्रतिदाय अधिनियम के तहत नहीं आता है। यह अच्छी तरह से सुस्थापित किया गया है कि कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, जो देय नहीं है, एक गलती के तहत इस तरह के कर के प्रतिदाय का हकदार है, यदि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से

अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। यदि प्रतिदाय अधिनियम के तहत नहीं है, तो प्रासंगिक अधिनियम के तहत प्रदान की गई परिसीमा सख्ती से लागू नहीं हो सकती है।

63. ***बिक्री कर आयुक्त यू.पी. बनाम औरिया चैंबर ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद***, उच्चतम न्यायालय ने एक विधि के तहत भुगतान किए गए बिक्री कर के प्रतिदाय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया था। प्रतिदाय के लिए करदाता का दावा परिसीमा की अवधि के भीतर माना गया था, इसके बावजूद कि प्रतिदाय आवेदन ऐसे कर के भुगतान के दो साल के भीतर नहीं किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने उस तिथि से उस अवधि को माना जिस दिन विधि को अमान्य घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "31. जहां सुनिश्चित रूप से डीलर के पास प्रतिदाय प्राप्त करने का विधिक अधिकार है और जहां डीलर किसी भी तरह की लापरवाही का दोषी नहीं है और जहां प्रतिदाय के खिलाफ कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, वहां किसी को प्रक्रियाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि पर्याप्त न्याय करना चाहिए। इस मामले में उपरोक्त आवश्यकताएं, हमारी राय में, संतुष्ट हो गई हैं और इसलिए हम विक्रेता को राशि की वापसी के लिए अपर न्यायाधीश (संशोधन), बिक्री कर के निर्देश की पुष्टि करते हैं और इस आधार पर उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं।"

64. श्री ***वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** में, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को संशोधित

किया था और परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रदान किए गए वाद की सीमा के आधार पर, अन्य शुल्क की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने से पहले तीन साल की अवधि के लिए कर का प्रतिदाय भी दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अपीलार्थियों द्वारा कोई वाद दायर किया गया था, तो परिसीमा की अवधि उस तिथि से शुरू होगी जब अपीलार्थियों को उस गलती का पता चला था जिसके तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया था।

65. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम कलेक्टर को तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर स्टाम्प पेपर (ई-स्टाम्प पेपर के 90 प्रतिशत तक) के प्रतिदाय के लिए याचिकाकर्ता के दावे को संसाधित करने का निर्देश देकर वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं।

66. याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है। लंबित आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाता है।

विभू बखरु, न्यायाधीश

अमित महाजन, न्यायाधीश

नवंबर 23,2023
'जीएसआर'/आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*